UPUN010043432026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव
द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1842/2026

आदिल पुत्र सफीक निवासी ग्राम नुरूल्ला नगर थाना आसीवन जिला उन्नाव। ––––––अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव। ––––––विपक्षी।

आदेश

20.07.2026

अभियुक्त आदिल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–127/2026 अर्न्तगत धारा–109, 3(5) BNS थाना–आसीवन, ज़िला उन्नाव में यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी मुकदमा शहरूख अहमद की तहरीर के अनुसार दिनांक 21.06.2026 को दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट उसका छोटा भाई अनस, विमल अवस्थली के आम के बाद नुरूल्ला नगर में रखवाली कर रहा था, तभी आदिल व उसके पिता सफीक अहमद ने उसके भाई अनस को घर पर बुलाकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया तथा मौके से भाग गये। सूचना मिलने पर वह सफीक के घ ार गया तो उसका भाई जमीन पर पड़ा था तथा उसके सर पर चोट लगी थी जिसको सी0एच0सी0 मियांगंज अस्पताल ले गये, जहॉ से जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया। आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र में यह कथन किया गया कि उसे वाद में झूठा व षडयन्त्रपूर्ण ढंग से फर्जी फंसाया गया है। उसके घर में कोई देख–रेख करने वाला नहीं है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पहले उसका जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न ही विचाराधीन है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादी मुकदमा सारूक अहमद व चोटहिल अनस के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति शपथ–पत्र प्रस्तुत करके आदिल व सफीक द्वारा जान से मारने की नीयत से मारने–पीटने से इंकार करते हुए आदिल व सफीक पर कोई कार्यवाही न चाहने का कथन किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से तर्क है कि अभियुक्त आदिल व उसके पिता सफीक अहमद के वादी के भाई अनस पर जान से मारने की नीयत से लोहे के औजार से हमला करने के कारण उसके सर व हांथ पर चोट आयी थी। उक्त तथ्य की पुष्टि केस डायरी पर अंकित वादी मुकदमा शाहरूख अहमद, मजरूब अनस के बयानों से होती है। थाना आसीवन उन्नाव की आख्या के अनुसार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त पेड़ काटने वाली मशीन के लोहे का पत्ता बरामद हुआ है। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है।

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.20 17:26:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, उसको रंजिशन फंसाया गया है, उसने कोई घटना कारित नहीं की है, घटना का कोई मोटिव नहीं है। उसने धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला नहीं किया है। उसका मारने का रोल नहीं है। उसको वादी व पुलिस की सांठ–गांठ से झूठा फंसाया गया है। अनरस ने उसके घर में घुसकर बहन के साथ जबरदस्ती कट्टा दिखाकर बलात्कार किया, बहन के शोर करने पर मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। जब उसे व उसके पिता को सूचना मिली तो अनस के परिवार वालों को बुलाया तो अनस के परिवार वाले कई लोग उसके घर पर चढ़ाई करके आये और मार–पीट की तथा धमकी देते हुए चले गये। उसने अपनी बहन के साथ बलात्कार की थाने में सूचना दी, वादी मुकदमा ने अपने प्रभाव से उस पर और उसके पिता पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसको और उसके पिता शफीक को वादी व उसके परिवार वालों ने पुलिस से सांठ–गांठ करके बहुत मारा–पीटा था जिससे उसके पिता को गंभीर चोटें आयी थी और बिना इलाज के उसे और उसके पिता को जेल भेज दिया गया, जहॉ पर उसके पिता का दिनांक 23.06.2026 को जेल जाने के दूसरे दिन जेल में देहान्त हो गया। वह स्वंय पीड़ित है। चोटहिल को साधारण प्रकृति की चोटें हैं जो मुकदमें से बचने के लिए गलत तरीके से बनवायी गयी हैं। वादी मुकदमा सारूक अहमद, चोटहिल अनस उपस्थित हैं तथा उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें आदिल व सफीक द्वारा जान से मारने की नीयत से मारने–पीटने से इंकार करते हुए आदिल व सफीक पर कोई कार्यवाही न चाहने का कथन किया गया है। अभियुक्त दि0 22.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो मे गुण दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त आदिल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–127/2026 अर्न्तगत धारा–109, 3(5) BNS थाना–आसीवन, ज़िला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1842/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, प्रस्तुत करने की स्थिति में, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–20.07.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
आई0डी0 नं0–यू0पी0–6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।